C-FR)151

(96)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /09

रेख्-44 II/09

1. रामसजीवन तनय चिड्डू,
2. बसंतलाल
3. बैजनाथ
4. केशव

सभी पुत्रगण श्री रामप्रताप
निवासीगण ग्राम पलिया तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा.(म.प्र.) ...... आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामाश्रय,
2. राममणि,
3. जगन्नाथ,
4. अनिल

पुत्रगण श्री रामसहाय
निवासीगण – ग्राम पलिया तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा (म0प्र0) .... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 560–III/08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05.12.2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1. यहकि, ग्राम पलिया 349 तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा में स्थित भूमि कुल किता 16 की भूमियों के बटवारे हेतु आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा को संहिता की धारा 178 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 32/अ–27/2000–2001 पंजीबद्ध कर इस्तहार का प्रकाशन किया गया एवं आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी किन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अनावेदकगण सूचना उपरांत उपस्थित नहीं हुए। अतः इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। ग्राम पटवारी से विभाजन सूची मंगायी गयी फर्दो का विधिवत रूप से प्रकाशन किया गया तत्पश्चात तहसील न्यायालय द्वारा बंटवारा आदेश दिनांक 07.07.2001 को पारित किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 44–दो/09 **जिला** –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
29-6-16	आवेदक की ओर से श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 560–तीन/2008 में पारित आदेश दिनांक 05.12.08 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 44–दो/09 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 560–तीन/2008 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 05.12.08 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 44–दो/09 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य